(लोक सभा द्वारा 09.08.2018 को पारित रूप में

**2018 का विधेयक संख्यांक 144-सी**

[दि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

# एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

**एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

**2.** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 2017 का 13

(i) खंड 6 के उपखंड (iv) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड 16 के स्पष्टीकरण की दीर्घ पंक्ति में "नगरपालिका को" शब्दों के पश्चात् "या अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति की बाबत, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में, "जो कारबार शीर्ष है," शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होंगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य उपचार या प्रक्रिया के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के लिए, अपेक्षित हैं, उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना ऐसी मरम्मत, उपचार या प्रक्रिया के लिए निर्यात कर दी जाती हैं ;"।

धारा 17 का संशोधन ।

**7.** मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रभाजित न की गई रकम, तत्समय परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार को पचास प्रतिशत की दर पर और, यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को तदर्थ आधार पर पचास

प्रतिशत की दर पर प्रभाजित की जाएगी और उक्त उपधाराओं के अधीन प्रभाजित रकम के प्रति समायोजित की जाएगी ।"।

धारा 20 का संशोधन ।

**8.** मूल अधिनियम की धारा 20 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां अपील, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, वहां अधिकतम संदेय रकम क्रमशः पचास करोड़ रुपए और एक अरब रुपए होगी ।"।

MGIPMRND—1598LS(CRC)—09.08.2018.